

2012/00041


तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर य
तारीख
अहकाम
जो इस
हुयम की
तामिल
में जारी
हुए

24/12

पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्षकार उपस्थित।
 प्रतिवादीगण संख्या 05,06,07,25,26 के सम्मन् दिनांक 13.04.2012 से आज तक
 प्रस्तुत करने हेतु निरन्तर अवसर प्रदान करने के बावजूद सम्मन् मुद्दायलाह पेश
 नहीं किये हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया लगता है की वादीगण वाद
 में किसी प्रकार की रुची नहीं लेते हैं। सीपीसी के आदेश 09 नियम 05 के
 माफिक जहा वादी समन तामिल के बिना लौटने के पश्चात सात दिवस तक नए
 समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहा वादी का वाद खारिज
 योग्य होता है।
 वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में आदेशिका की दिनांक 13.04.2012 से आज दिनांक
 तक पालना नहीं कि है। तथा वादीगण की तरफ से प्रतिवादीगण की तलवी हेतु
 सम्मन् मुद्दायलाह पेश नहीं किये वाद मात्र प्रतिवादीगण के समन पेश करने में
 2012 से विचाराधीन है। वाद को आगे चलाया जाना न्याय की दृष्टि से हमारी
 राय में उचित नहीं है अतः वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत
 खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। खारिज का डिक्री पर्चा अलग से
 मूर्तिव हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


 यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)
 सहायक कलक्टर
 फ़ौदी कलक्टर
 ज्योती (जोषी)

Scanned by CamScanner

